न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट तबीजी

पीठासीन अधिकारी महावीर सिह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 10/2021

1. चन्द्रकान्ता अग्रवाल पत्नि सुभाष चन्द्र मंगल जाति अग्रवाल निवासी ए 275 चन्द्रवरदाई नगर अजमेर
2. नीरज अग्रवाल पुत्र नेमीचन्द अग्रवाल जाति अग्रवाल सा. मथुरा दरवाजा कामा जिला भारतपुर खातेदार

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
2. इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड, बॉटलिंग प्लान्ट, तबीजी अजमेर जरिये प्रबन्धक

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश **दिनांक 16.12.2021**

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत तबीजी में मजमेंआम पेश हुई। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर स्थित हाल खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.65 साबिक खसरा नम्बर 2639 मिन रकबा 4 बीघा व उक्त खसरा नम्बर की स्थिति हाल खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.65 साबिक खसरा नम्बर 2639 मिन रकबा 4 बीघा व हाल खसरा नम्बर 1634/4812 रकबा 0.09 के साबिक खसरा नम्बर 2639 मिन रकबा 11.5 बिस्वा है जिसमें से खसरा नम्बर 2639 मिन रकबा 11.05 बिस्वा भूमि को इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन इण्डिया लिमिटेड बॉटलिग प्लान्ट अजमेर के लिए अवाप्त कर लिया गया था जिसका तत्समय के राजस्व रिकॉडे में अंकन हो रखा था एवं शेष रही खसरा नम्बर 2639 मिन की 4 बीघा भूमि को प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद लिया गया था । उक्त भूमि प्रार्थीगण

Scanned by CamScanner

ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रेय पत्र से क्रय की है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय के नामान्तकरण स्वीकार होने के पश्चात प्रार्थीगण का नाम ग्राम तबीजी की जमाबंदी खसरा उक्त अन्तिम चौसाजा आधार सम्वत 2072–2075 जमाबंदी 2076 वर्ष 2019 में प्रार्थीगण बहैसियत खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थीगण पैरा 1 में कृषि भूमि के खातेदार है एवं मौके पर काबिज है। नक्शा किश्तवार मौजा तबीजी तहसील अजमेर जिला अजमेर मेरवाडा सन् 1971–72 में साबिक खसरा नम्बर 2639है वह मौके के अनुसार सही है। इसके पश्चात सेटलमेन्ट के दौरान नक्शा जो तैयार किया गया उसमें नवीन खसरा नम्बर 1634 में से खसरा नम्बर 1634/4812 की जो तरमीम वर्तमान मानचित्र मे कर दी गई है वह गलत है ना ही मौके के अनुरूप है ना ही आई ओ सी द्वारा अवाप्ति के समय अवाप्त किये गये मानचित्र के अनुरूप है। इस प्रकार वर्तमान सेटलमेन्ट के दौरान उक्त खसरा नम्बरो की तरमीम में त्रुटि की गई है। इसी प्रकार इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा साबिक खसरा नम्बर 2639 की जो भूमि अवाप्त की गई थी वह उक्त खसरा नम्बर में से उत्तरी, पूर्वी कोने की तरफ से की गई थी, उसी अनुरूप मौके पर नाप चौप होकर इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन द्वारा कब्जा लिया गया था उसी अनुसार तद्समय से आज तक मौके पर इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन का पक्का निर्माण चार दिवारी के रूप में मौके पर विघमान है। उसी के अनुसार वर्तमान सैटलमेंन्ट के दौरान तरमीम की जानी थी, लेकिन सैटलमेन्ट के बाद जो तरमीम कर नक्शा बनाया गया, उसमें उक्त अवाप्तशुदा भूमि को उसके वास्तविक स्वरूप में न दर्शाकर मनमाने तरीके से विवादित खसरा नम्बर 2639 हाल खसरा नम्बर 1635 के पूर्वी भाग में तरमीम नक्शा बनाया गया है उसमें मौके की स्थिति के विपरित जाकर नक्शे में तरमीम की गई है। अतः नक्शा किश्तवार मौजा तबीजी तहसील अजमेर जिला अजमेर मेरवाडा में साबिक खसरा नम्बर 2639 सन् 1971–72 में जो इन्द्राज है उसी के अनुसार सेटलमेन्ट के बाद नवीन खसरा नम्बर 1634 व 1634/4812 का इन्द्राज किया जावे साथ ही वर्तमान खसरा नम्बर 1634 की सभी सीमा रेखाओं को पूर्व में खसरा संख्या 2639 की सीमा रेखाओ को पूर्व में खसरा संख्या 2639 की सीमा रेखाओ के अनुरूप दर्ज कराकर इण्डियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा अवाप्त की गई भूमि का अंकन भी वास्तविक मौका स्थिति व तद्समय की गई अवाप्ति के अनुरूप किया जावे।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी 2 जरिये अधिवक्ता दिनांक 1.3.2021 को उपस्थित हो चुके किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब पेश नही किए जाने से जवाब बन्द किया गया ।

तहसीलदार अजमेर ने दोराने कैम्प जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तबीजी के वर्किंग खसरा नम्बर 2639 के राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 2639 के राजस्व मानचित्र का नवीन खसरा नम्बर 1634 व 1634/4812 के राजस्व मानचित्र से तुलनात्मक मिलान किया गया । गत राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 2639 में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 बाटलिंग प्लान्ट तबीजी के रकबे की पृथक–पृथक तरमीम नही की हुई है। वर्तमान मानचित्र में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थीगण तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन के मौके पर कब्जा अनुसार नवीन खसरा नम्बरान की आकृति नही दर्शाई गई है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर आईओसी बाटलिग प्लान्ट एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व मानचित्र में शुद्वि चाही गई है। तथा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1634 की रास्ते से लगते हुए लम्बाई में भी गत राजस्व मानचित्र के मुकाबले नवीन राजस्व मानचित्र में हुई कमी में भी गत राजस्व मानचित्र के मुकाबले नवीन राजस्व मानचित्र में हुई की कमी की दुरूस्ती चाही गई है। गत राजस्व मानचित्र अनुसार हाल खसरा नम्बर 1634 की सीमाओ की शुद्वि तथा प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त एवं इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 की पक्की बाउण्ड्रीवाल के अनुसार हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती किये जाने हेतु अनुशंषा उचित प्रतीत होना अवगत कराया गया ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत मुताबिक रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 2639 के राजस्व मानचित्र का नवीन खसरा नम्बर 1634 व 1634/4812 के राजस्व मानचित्र से तुलनात्मक मिलान करने से मौके व राजस्व मानचित्र में अन्तर होना बताया गया और राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 2639 में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तथा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 बाटलिंग प्लान्ट तबीजी के रकबे की पृथक–पृथक तरमीम नही की हुई है। प्रार्थीगण द्वारा मौके पर आईओसी बाटलिग प्लान्ट एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व मानचित्र में शुद्वि चाही गई है जिसे

Scanned by CamScanner

दुरूस्त करना उचित बताया है। अतः प्रार्थियांगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम तबीजी तहसील अजमेर के हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1634 व 1634/4812 की वर्किंग राजस्व मानचित्र व मौकानुसार खसरा नम्बर 2639 के अनुसार तरमीम करे, तरमीम करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जावे कि दोनो पक्षो के रकबे व मौका प्रभावित नहीं होवे।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner